संख्या-272/2018/2424/22-2-2017-17(228)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसवन्त सिंह पुत्र श्री जागीर सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33908/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक -15-09-2017 दिनांक 18-09-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जसवन्त सिंह पुत्र श्री जागीर सिंह, निवासी ग्राम-तुरतपुर, थाना-अफजलगढ़, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 01.08.2006 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-500/06 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-06, बिजनौर के आदेश दिनांक 29.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.08.2017 तक 11 वर्ष 00 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 02 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या पर विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जसवन्त सिंह (बन्दी संख्या-44450) पुत्र श्री जागीर सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-272/2018/2424(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in